>

Title: Need to provide adequate civic and medical facilities to civilan population residing in cantonment areas in the country.

**श्री गजानन ध. बाबर (मावल):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के समस्त छावनी बोर्डों की ओर दिलाना चाहता हूं। छावनी बोर्डों के अंतर्गत रहने वाले सिविल नागरिकों को सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में सैनिकों के घरों में काम करने वाले लोग रहते हैं या फिर वे लोग जिनकी जमीन छावनी बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिग्रहित कर ली गई है, वे रहते हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं। इनको सुविधाएं दिए जाने हेतु समस्याओं की सुनवाई नहीं हो पाती है।

महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद छावनी बोर्डों की संख्या सबसे अधिक है। छावनी बोर्डों की सत्ता छावनी कानून के तहत चलायी जाती है। नगरपालिका कोष, सांसद तथा विधायक कोष से छावनी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। अतः भारत सरकार को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश के समस्त छावनी बोर्डों के अंतर्गत पड़ने वाले नागरिक क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए अलग से बजट प्रावधान करना चाहिए जिससे यहां रहने वाले गरीब नागरिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

छावनी बोर्डों की स्थापना सन् 1924 में ब्रिटिश शासन काल में हुई थी तब से अब तक इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आबादी में भारी वृद्धि हुई है इनके मकानों की मरम्मत तथा विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती है जिससे इन लोगों का जीवन मुश्किलों से भरा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि या तो छावनी बोर्डों को भीड़ वाले इलाकों से हटाकर दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाए या इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह मकान बनाकर बसाया जाए।

छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सैनिक अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा छावनी बोर्डों में सिविल इंजीनियरों की भर्ती की जाये ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके तथा बोर्डों में चुने हुए लोक प्रतिनिधि को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए।